

**न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

आप0प्रकरण क0-611 / 15  
संस्थित दिनांक 10.07.2015  
फाईलिंग नंबर 234503010592015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा (बिठली चौकी)  
आरक्षी केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट म0प्र0 .....अभियोजन ।

**विरुद्ध**

जयपालसिंह पिता पंचमसिंह जाति गोंड, उम्र-25 साल,  
निवासी हर्राटोला पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर  
जिला बालाघाट (म0प्र0) .....अभियुक्त ।

**-:: निर्णय ::-**

**-:: आज दिनांक 11.05.2018 को घोषित ::-**

**01.** उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 15.06.2015 से दिनांक 16.06.2015 की दरमियानी रात्रि में 02:00 बजे से 03:00 बजे के मध्य थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी अजय चौकसे के आवासीय मकान व दुकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करने, फरियादी अजय चौकसे के आधिपत्य से एक स्टील का बर्तन का रैक, लगभग पांच किलो खड़ी मिर्च, नायलॉन रस्सी एक बंडल वजन करीब पांच किलो, चार दर्जन साबुन, तेल की शीशी, गुडाखू, चॉकलेट, बिड़ी, माचिस, क्रीम, बिस्कुट कीमती करीब 2,500/- रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी करने, इस प्रकार धारा-457, 380 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है ।

**02.** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अजय चौकसे की किराना दुकान एवं उसका घर बिठली बाजार चौक में स्थित है। वह दिनांक 15-16.06.2015 को हमेशा की तरह अपना किराना एवं गल्ला व्यापार

करके किराना दुकान बंद करके रात्रि करीब 8:30 बजे दुकान के पीछे अपने घर जाकर अपने परिवारवालों के साथ खाना खाकर रात्रि करीब 11:00 बजे सो गया था। दुकान की लाईट जल रही थी। रात्रि करीब 2 से 3 बजे प्रदीप हरिनवार का फोन आया कि वह अपने ड्रायवर के साथ ट्रैक्टर से आकर खड़ा हुआ था कि उसकी दुकान के तरफ कोई आदमी जाली के अन्दर से दुकान में घुसता हुआ दिखाई दिया है, तब वह एवं उसकी पत्नि एवं बेटे के साथ दुकान पहुँचा तो देखा कि एक आदमी अन्दर से बाहर जाली के उपर से निकल रहा था, जो एक बोरी में कुछ सामान लेकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे उसने प्रदीप हरिनवार, ड्रायवर रामचन्द्र तथा शैलेश हरिनवार के साथ पकड़ लिया था, किन्तु आरोपी हाथ छुड़ाकर बोरी सहित भाग गया था, जिसे पुनः पकड़ने के लिये लोगों ने पीछा किये जो जंगल की तरफ भाग गया। फरियादी ने वापस आकर अपनी किराना दुकान खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बर्तन रखने की रैक स्टील की, मिर्ची करीब पांच किलो, नायलोन की रस्सी पीले रंग की एक बंडल वजन करीब पांच किलो एवं किराना सामान साबुन करीब चार दर्जन, छोटे तेल की शीशी, गुडाखू, चॉकलेट, बिड़ी, माचिस, क्रीम, बिस्कुट कीमती करीब 2500/- रुपये चोरी कर ले गया था। फरियादी ने घटना की लिखित रिपोर्ट दिया था, जिसके आधार पर चौकी बिठली थाना रूपझर में अपराध क्रमांक 89/15 धारा-457, 380 भा.दं०सं० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपी का मेमोरेन्डम तैयार कर मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपी से चुराई गई वस्तु जप्त की गई। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**03.** प्रकरण में अभियुक्त ने अपने अभिवाक् एवं अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द.प्र.सं में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है एवं बचाव में यह व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

**04.** प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

**01.** क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.06.2015 से दिनांक 16.06.2015 की दरमियानी रात्रि में 02:00 बजे से 03:00 बजे के मध्य थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी अजय चौकसे के आवासीय मकान व दुकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?

**02.** क्या अभियुक्त ने दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अजय चौकसे के आधिपत्य से एक स्टील का बर्तन का रैक पांच कि.लो. खड़ी मिर्च, नायलॉन रस्सी एक बंडल वजन करीब पांच किलो, चार दर्जन साबुन, तेल की शीशी, गुडाखू, चॉकलेट, बिड़ी, माचिस, क्रीम, बिस्कुट कीमती करीब 2500/- रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

—: सकारण निष्कर्ष :—

#### विचारणीय प्रश्न क.01 से 02

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

**05.** सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या फरियादी अजय चौकसे के किराना दुकान में घटना दिनांक को चोरी हुई थी। साक्षी अजय कुमार चौकसे अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग चौदह-पन्द्रह माह पूर्व बरसात के समय की है। घटना के दिन रात्रि करीब नौ बजे वह अपनी बिठली स्थित दुकान को बंद करके दुकान के पीछे स्थित घर चला गया था। रात्रि करीब तीन बजे प्रदीप हरिनवार ने उसे फोन करके बताया कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है, जिसके बाद वह दुकान पहुँचा तो देखा कि वहाँ सामान बिखरा पड़ा हुआ था। चोर जाली तोड़कर अंदर आया था। उसकी दुकान से मिर्ची, रस्सी का बंडल, बर्तन का पिंजरा, साबुन

और चिल्लर सामान गायब थे। उसने घटना की लिखित शिकायत प्र.पी.01 पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर में की थी। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट प्र.पी.02 दर्ज की थी। इस प्रकार फरियादी ने घटना के दिन अपनी दुकान से किराना सामान चोरी होने के तथ्य की पुष्टि की है तथा चोरी की घटना का प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। विवेचक रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने बताया है कि चौकी बिठली के अपराध क्रमांक 89/15 धारा 457, 380 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान उसने दिनांक 16.06.2015 को घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.05 तैयार किया था। जिससे भी फरियादी के ग्राम बिठली स्थित घटनास्थल से चोरी होना प्रकट है।

**06.** प्रदीप हरिनवार अ.सा.02 ने बताया है कि घटना पिछले वर्ष समय रात्रि 11 बजे की है। वह पेशाब करने के लिये बाहर निकला था। तब उसने फरियादी अजय के दुकान से चोरी होते हुए देखा था। फरियादी ने अपना सामान चेक किया तो उसमें से कुछ सामान नहीं थे। इस प्रकार इस साक्षी ने भी फरियादी की दुकान में चोरी होने की घटना को प्रमाणित किया है तथा प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं है कि फरियादी ने चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाई हो। जिससे भी चोरी की घटना की पुष्टि इस साक्षी के कथन से होता है।

**07.** अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या फरियादी अजय चौकसे की दुकान में आरोपी ने चोरी कारित की थी। फरियादी अजय चौकसे अ.सा.01 ने यह बताया है कि प्रदीप हरिनवार के फोन करने पर वह अपनी दुकान में पहुँच गया था, वहाँ उसे प्रदीप ने बताया कि उन लोगों ने आरोपी जयपाल को चोरी करके भागते समय पकड़ लिया था, जो उन्हें छुड़ाकर भाग गया था। पुलिस ने उनके सामने आरोपी की पहचान पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था। साक्षी प्रदीप अ.सा.02 ने भी बताया है कि जब वह पेशाब करने रात 11 बजे अपने घर से बाहर आया तो उसने देखा कि आरोपी जयपाल अजय की

दुकान से चोरी कर रहा था। अजय के आने पर उसने अपने सामान चेक किया तो कुछ सामान नहीं था। उसी दौरान आरोपी भाग गया। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी का पहचान पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी को मौके पर चोरी करते देखना बताया है। रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने बताया है कि विवेचना के दौरान उसने आरोपी जयपाल द्वारा हाथ छुड़ाकर भागने का तथ्य प्रकट होने से आरोपी की पहचान के विषय में पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था।

**08.** अजय अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि सूचना मिलने पर वह अपने घर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकला, तब उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे तथा इससे इंकार किया है कि जब वह मौके पर पहुँचा तो आरोपी जयपाल नहीं था। इससे भी इंकार किया है कि पहचान की कार्यवाही थाने में हुई थी तथा इससे भी इंकार किया है कि मौके पर जयपाल को नहीं पकड़े थे। साक्षी प्रदीप हरिनवार अ.सा.02 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट बताया है कि घटना के समय वह पेशाब करने बाहर निकला था तथा इससे इंकार किया है कि घटना के समय उसने आरोपी को नहीं पकड़ा था। विवेचक रामेश्वर अ.सा.03 ने भी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे मौके पर ही आरोपी मिल गया था। इस प्रकार घटना के तत्काल उपरांत आरोपी को फरियादी अजय एवं साक्षी प्रदीप ने पकड़ा था और पहचान भी किया था।

**09.** शैलेन्द्र अ.सा.04 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। फरियादी अजय को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि घटना दिनांक 15.06.2015 को रात 2-3 बजे उसके घर के सामने ट्रेक्टर की आवाज आने पर वह और उसका छोटा भाई प्रदीप उठे थे। इससे इंकार किया है कि ट्रेक्टर के ड्रायवर रामचंद्र ने अजय की दुकान में चोरी के बारे में और आरोपी को पकड़ने के बारे में बताया था। इस साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.8 के कथन देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।



10. रामचंद्र उइके अ.सा.05 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। फरियादी अजय को भी नहीं जानता। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि दिनांक 15.06.2015 को रात में उपसरपंच भुरूलाल का ट्रैक्टर बिठली चौराहा में खड़ा करके वह आराम कर रहा था। इससे भी इंकार किया है कि उसी समय अजय चौकसे के गोदाम व दुकान में एक आदमी छिप रहा था, तब उसने शैलेन्द्र व प्रदीप को बुलाया था। इससे भी इंकार किया है कि उसने चोर को पकड़ लिया था और चोर हाथ छुड़ाकर भाग गया था। इस साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.09 का कथन देने से इंकार किया। इस प्रकार इस साक्षी ने मौके पर आरोपी को चोरी करते हुए देखे जाने और पकड़े जाने से इंकार किया।

11. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी के मेमोरेन्डम के आधार पर आरोपी से चुराई गई संपत्ति जप्त की गई थी। रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने बताया है कि विवेचना के दौरान उसने आरोपी से पूछताछ कर मेमोरेन्डम प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसमें आरोपी ने सामान बिठली से लातरी की ओर जाने वाली सड़क की पुलिया के नीचे रखना बताया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी के खिलाफ झूठा मामला तैयार किया है। मेमोरेन्डम के स्वतंत्र साक्षी अजय अ.सा.01 ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी का मेमोरेन्डम प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसमें सामान बिठली मेन रोड पुलिया के पास थैला में रखे होने और जंगल में पिजरा रखने की बात बताया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी प्रदीप अ.सा.02 ने भी बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी का मेमोरेन्डम प्र.पी.04 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने भी इससे इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षी अजय कुमार एवं प्रदीप ने आरोपी द्वारा दिये गये मेमोरेन्डम की पुष्टि की है।

12. रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने बताया है कि विवेचना के दौरान

उसने बिठली से लातरी जाने वाली सड़क की पुलिया के नीचे से चोरी का सामान जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, उसी समय आरोपी के फोटोग्राफ लिये थे, जिसमें से आरोपी को सामान निकालते हुए दिखाई दे रहा है। अजय अ.सा.01 ने बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष बिठली मेन रोड पुलिया के पास आरोपी जयपाल के निकालने पर बर्तन रखने का पिंजरा, नायलान रस्सी, मिर्च, माचिस की पुड़िया, तेल, बिस्किट, गुड़ाखू, चॉकलेट व साबुन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। प्रदीप हरिनवार अ.सा.02 ने भी बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी जयपाल से बर्तन रखने का पिंजरा, नायलान रस्सी, मिर्च, माचिस पुड़िया, तेल, बिस्किट, गुड़ाखू, चॉकलेट तथा साबुन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था।

**13.** विवेचक रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने आरोपी से जप्ती पत्रक प्र.पी.06 में वर्णित संपत्ति जप्त नहीं किया था। अजय अ.सा.01 ने भी इससे इंकार किया है कि आरोपी जयपाल से कोई संपत्ति जप्त नहीं हुआ था। प्रदीप अ.सा.02 ने भी इससे इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से कोई संपत्ति जप्त नहीं हुई थी। यद्यपि साक्षी अजय एवं प्रदीप ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर पुलिस चौकी में करना बताया है, किन्तु विवेचक रामेश्वर अ.सा.03 ने बताया है कि उसने आरोपी के बताये स्थान पर ही आरोपी से जप्त पत्रक में वर्णित संपत्ति जप्त कर दस्तावेज तैयार किया था तथा उसके संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा मौके से सामान निकालते हुए आरोपी का फोटोग्राफ भी पेश किया है। विवेचक रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि उसने फरियादी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है। साक्षी अजय एवं प्रदीप ने भी प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि वे लोग आरोपी को झूठा फंसाने के लिये उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराये हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि फरियादी अजय एवं आरोपी का पूर्व से कोई रंजिश रहा

हो। ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि विवेचना अधिकारी रामेश्वर गोस्वामी एवं आरोपी की पूर्व से कोई रंजिश या शत्रुता रही हो, जिसके कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया हो। इस प्रकार साक्षीगण को रंजिशवश झूठा फंसाने का दिया गया सुझाव से भी बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होता है।

**14.** रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.03 ने बताया है कि विवेचना के दौरान उसने फरियादी अजय, प्रदीप हरिनवार, शैलेन्द्र, रामचंद्र उइके, आयुष एवं अंजली के चौकसे के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। यद्यपि साक्षी शैलेन्द्र एवं रामचंद्र ने पुलिस को प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 का कथन देने से इंकार किया है। साक्षी रामेश्वर अ.सा.03 ने यह भी बताया है कि उसने गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 तैयार किया था। साक्षी अजय अ.सा.01 और प्रदीप अ.सा.02 ने भी बताया है कि पुलिस ने उनके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था।

**15.** इस प्रकार फरियादी अजय कुमार चौकसे के कथन से यह प्रमाणित हुआ है कि घटना दिनांक को उसकी दुकान से किराने के सामान मिर्ची, रस्सी का बंडल, बर्तन का पिंजरा, साबुन एवं चिल्लर सामान चोरी हुआ था। उक्त चोरी गया सामान आरोपी से जप्त किया गया है। मेमोरेन्डम के साक्षी अजय एवं प्रदीप ने भी बताया है कि आरोपी ने उसके सामने पुलिस को चुराये गये संपत्ति रखने का स्थान बताया था तथा विवेचना अधिकारी रामेश्वर अ.सा. 03 द्वारा आरोपी के मेमोरेन्डम के बताये गये स्थान से चुराई गई संपत्ति को साक्षी अजय एवं प्रदीप के समक्ष जप्त किया गया है, जिसकी पुष्टि भी उक्त दोनों साक्षियों ने की है। मौके पर आरोपी को साक्षी प्रदीप द्वारा पकड़ भी लिया गया था, किन्तु आरोपी वहाँ से छुड़ाकर भाग गया था और बाद में पकड़े जाने पर आरोपी की पहचान कार्यवाही की गई थी तथा आरोपी के पहचान के संबंध में भी पहचान पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया गया और साक्षी अजय एवं प्रदीप ने



उसे भागने वाले चोर के रूप में ही पहचान किया था, जिससे उपरोक्त परिस्थिति में आरोपी द्वारा फरियादी अजय की दुकान से चोरी की घटना किया जाना प्रमाणित है। चूँकि घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.05 से घटनास्थल फरियादी की किराना की दुकान है तथा फरियादी ने भी किराना दुकान से चोरी होना बताया है और घटना का समय रात्रि का है। ऐसे में आरोपी के विरुद्ध फरियादी के संपत्ति को सुरक्षित रखे जाने के स्थान दुकान में चोरी करने के आशय से रात्रो गृहभेदन कारित किये जाने की उपधारणा भी की जावेगी।

**16.** अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी जयपाल ने दिनांक 15.06.2015 से दिनांक 16.06.2015 की दरमियानी रात्रि में 02:00 बजे से 03:00 बजे के मध्य थाना रूपझर अंतर्गत फरियादी अजय चौकसे के आवासीय मकान व दुकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन कारित किया, फरियादी अजय चौकसे के आधिपत्य से एक स्टील का बर्तन का रैक, लगभग पांच किलो खड़ी मिर्च, नायलॉन रस्सी एक बंडल वजन करीब पांच किलो, चार दर्जन साबुन, तेल की शीशी, गुड़ाखू, चॉकलेट, बिड़ी, माचिस, क्रीम, बिस्कुट कीमती करीब 2,500/- रुपये उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया। फलतः आरोपी को धारा-457, 380 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट

**पुनःश्च:-**

17. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है। आरोपी अपने परिवार का एकमात्र काम करने वाला सदस्य है। अतः आरोपी के दण्ड के प्रति नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2015 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होता रहा है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अनु.क.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	जयपालसिंह पिता पंचमसिंह जाति गोंड, उम्र-25 साल	457 भा.दं.वि.	06 माह सश्रम कारावास	100/-रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास
02	जयपालसिंह पिता पंचमसिंह जाति गोंड, उम्र-25 साल,	380 भा.दं.वि.	06 माह सश्रम कारावास	100/-रुपये	15 दिवस सश्रम कारावास

18. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

19. मुख्य कारावास की सजायें साथ-साथ भुगताई जावे तथा अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में भुगताई जाने वाली सजा पृथक-पृथक भुगताई जावे।

20. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की

पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि दिनांक 17.06.2015 से दिनांक 03.07.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है।

21. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक स्टील का बर्तन का रैक, लगभग पांच किलो खड़ी मिर्च, नायलॉन रस्सी एक बंडल वजन करीब पांच किलो, चार दर्जन साबुन, तेल की शीशी, गुड़ाखू, चॉकलेट, बिड़ी, माचिस, क्रीम, बिस्कुट उसके स्वामी अजय चौकसे पिता घनश्चाम चौकसे को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर लौटाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

सही /—  
(मधुसूदन जंघेल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु  
न्यायिक / विधिक उपयोग